

A 322-II/14

अ.वेदक/अपीलार्थीगण

1. गणेश बर्मन पिता स्व. घन्नु बर्मन
2. हरिलाल पिता राम प्रसाद यादव
3. रूपलाल पिता छम्मीलाल
4. नन्दू पिता स्व. श्याम लाल बर्मन
5. भाईलाल पिता पक्कू बर्मन
6. पूरन सिंह पिता पंचम सिंह गौड़
7. सलीम उर्फ गुड्डू पिता जान मोहम्मद
8. मुन्नु बर्मन पिता स्व. अनारी बर्मन
9. सुखलाल पिता पंचमलाल गौड़
10. बारेलाल पिता स्व.पक्कू
11. मनीष पिता स्व. ब्रजलाल
12. मयंक उर्फ मंकू पिता स्व. जीवनलाल
13. झलकन पिता स्व. गुन्दी चौधरी
14. विनीत पिता छोटे बर्मन
15. मुन्ना पिता मुरारी गौड़
16. गोपाल पिता रम्मू
17. खेलन गौड़ पिता डुम्भन गौड़
18. लाला वर्मन पिता स्व. श्री पक्कू वर्मन
19. सुखचैन चौधरी पिता स्व.गुन्दी चौधरी
समस्त निवासी ग्राम सत्ताईस मील ग्राम पंचायत पड़रिया तह. मझौली, जिला जबलपुर म.प्र.



श्री...शुभ...गो...
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार...
25 AUG 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

393
दिनांक 11.9.14
श्रीमान् राजस्व
मण्डल
11/9/14
15-9-14

अनावेदक/उत्तरार्थी

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कर्पनी द्वारा कार्यपालन यंत्री (सिविल) रामपुर शक्तिभवन जबलपुर



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

48

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 3221-II/14 जिला जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-12-14 जबलपुर कैम्प	<p>आवेदक आधिकारिता द्वारा ग्राह्यता पर उस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा आयुक्त न्यायालय जबलपुर संभाग के उ. क्र. 321/वी-12/2013-14 में पारित आदेश दि. 12-08-2014 को संप्रतिनिधी का अवलोकन किया गया, जिससे दुरित होकर आवेदक द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष उस्तुत की गई है।</p> <p>2- आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार मसौली के प्रतिवेदन दि. 31-5-13 पर विचारोपरान्त कनेक्टर जिला कटनी द्वारा दि. 30-8-13 को आदेश पारित किया है जिसे आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में वैधानिक कार्यवाही की है। अतः उच्चमदृष्टया आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से यह आवेदन अपील इसी स्तर पर अग्रहण की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] प्रशासकीय सदस्य</p>	